


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

OM
14.86

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 1986/माघ 25, 1907
No. 80] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 1985/MAGHA 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation**

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1986

सा. का. नि. 202(अ) :- केन्द्रीय सरकार सरकारी बचत बैंक अधिनियम
1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

डाकघर सार्वधिक सच्यी जमा नियम, 1981 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम डाक-घर सार्वधिक सच्यी जमा (संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त होंगे ।

2 डाक-घर सार्वधिक सच्यी जमा नियम, 1981 में, नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा. अर्थात् :—

“13(5) 10-वर्षीय खाते को बन्द करना—(1) इन नियमों के अधीन डाक-घर बचत बैंक के माध्यम से चालू 10-वर्षीय खाते का, 1 अप्रैल, 1986 से ही बन्द कर दिया जाएगा और कांटे भी व्यक्ति उस तारीख की ओर से एंसा कांटे खाता नहीं खोलगा ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, पूर्वगामी नियमों के उपरान्त इन नियमों के अधीन 1 अप्रैल, 1986 से पूर्व खोले गए किसी 10-वर्षीय खाते का लागू होंगे ।”

[सं. एफ 3/4/85-एन एस.]

के. एस. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण मूल नियमों का नि. 665 (अ) तारीख 17-12-1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 1986

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Post Office Cumulative Time Deposit Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Cumulative Time Deposit (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1986.

2. In the Post Office Cumulative Time Deposit Rules, 1981, after rule 13, the following rule shall be inserted, namely :—

“13A. Discontinuance of 10-year account---(1) On and from the 1st April, 1986, a 10-year account operated through the Post Office Savings Bank under these rules shall be discontinued and no person shall open any such account on and from that date.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the provisions of the foregoing rules shall apply to any 10-year account opened under these rules before the 1st day of April, 1986.”

[No. F. 3'4|85-NS]

K. S. SASTRY, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published vide GSR 665(E) dated 17-12-1981.

